

10/23

आज यह पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार
बरहोड में अपना पत्र क्रमांक /राजा-प/2023/
637 दिनांक 06/4/23 पेश कर निवेदन किया
है कि ख नं 715 रकबा 0.26 बीघा शाह
बरहोड तरफ नैनखुल में अवैध खारिफ़ के
बाबर कृषि शुल्क का अवैध प्रयोजनार्थ
की कार्यवाही हेतु धारा 177 पेश किया गया
था। आपूर्ण ने निवेदन किया है कि शू-
समपावर्तन करोम हेतु बीडा मिनाडी में प्रकाश
प्रक्रियाधीन है। जो रूचगन आदेश के कारण
प्रभावी नहीं हो रही है। अतः -पापालप के
आदेश दिनांक 27/12/22 के आदेश की कार्यवाही
का शेष करने की कृपा करें।

अतः निवेदन तहसीलदार बरहोड
दिनांक 27/12/22 रूचगन आदेश बाबर ख नं
716 रकबा 0.30 है 0 बीघा शाह बरहोड
तरफ नैनखुल शेष कर खारिफ़ किया जाता
है। पत्रावली जलाल शुमार टोका नम्बर 10 का
है। मूल वाद के साथ संलग्न है।

राजा-प/2023/
बराहोड (तहसीलदार, राजा-प)